दैनिक न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शुक्रवार 20 अगस्त 2021 | 4

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

दो लोगों की असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़ । अनुविभाग लैलूंगा अंतर्गत दो लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम लैलूंगा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील लैलूंगा के ग्राम-जामबहार निवासी माधुरी की 16 सितम्बर 2018 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र रोशन एवं पुत्री दुर्गा को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-हीरापुर के सूरज राठिया की 20 सितम्बर 2020 को मधुमक्खी काटने से मृत्यु होने पर उनके पिता सुखसाय को 4 लाख रुपये वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

शासकीय कार्यों में लापरवाही : पंचायत सचिव संतुराम निलंबित

रायगढ़ । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.रवि मित्तल ने जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत सचिव संतुराम राठिया को शासन की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, गोधन न्याय योजना, एनजीजीबी, निर्माण कार्य आदि में रूचि नहीं लेने एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

जिले के समस्त आईटीआई में होगी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति

रायगढ़ । रायगढ़ जिला अंतर्गत समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा व्यवस्था हेतु शासन द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर से रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति किया जाना है। शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार चाही गई आवश्यक शर्तो को पूर्ण करने वाले एवं पुलिस हेडक्वार्टर से रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेंसी अपना प्रस्ताव 31 अगस्त 2021 तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण रायगढ़ में प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति एवं मृतकों के वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़ । अनुविभाग खरसिया अंतर्गत सड़क दुर्घटना में हुए मृतकों के परिजनों तथा घायलों को एसडीएम खरसिया द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इनमें साकिन आकतीपारा दर्रामुड़ा, थाना भूपदेवपुर के होशराम यादव की 28 अगस्त 2017 को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उन्हें 7 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह तहसील खरसिया ग्राम-देहजरी निवासी ईतवारी लाल की 3 फरवरी 2021 को मृत्यु होने पर उनकी माता दुखदीन बाई को 25 हजार रुपये, तहसील खरसिया के ग्राम किरीतमाल निवासी बसंत कुमार डनसेना की 20 फरवरी 2020 को मृत्यु होने पर उनकी पत्नी लक्ष्मी डनसेना को 25 हजार रुपये, तहसील खरसिया ग्राम-देहजरी निवासी कार्तिकराम एवं कलेश्वर की 16 अक्टूबर 2016 को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उन्हें 10-10 हजार रुपये वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

सांकरा के बहाल नाला पर बनाई जा रही अवैध शराब भट्ठी पर सरिया पुलिस की रेड

» 200 लीटर महुआ शराब, शराब बनाने के बर्तनों की जप्ती, 250 केजी महुआ पास का नष्टीकरण

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर सरिया पुलिस द्वारा एक बार फिर मुखबिर सूचना पर अवैध हाथ भट्ठी की घेराबंदी कर अवैध शराब के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है, मौके पर तैयार की गई 200 लीटर महुआ शराब, शराब बनाने के बर्तनों की जप्ती के साथ काफी मात्रा में महुआ पास लहन का नष्टीकरण किया गया है।

जानकारी के अनुसार आज दिनांक 19/08/2021 को थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक विवेक पाटले को मुखबिर से सूचना मिला कि ओड़िशा से सटे ग्राम सांकरा में बहाल नाला के पास अवैध रूप से महुआ शराब बनाई जा रही है। सूचना पर सरिया पुलिस ग्राम सांकरा पहुंची और मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर ग्रामीणों(गवाह) के साथ जाकर घेराबंदी किया गया। मौके पर आरोपी भक्त सिंह गोंड पिता राजेंद्र गोड उम्र 45 वर्ष साकिन सांकरा थाना सरिया जिला रायगढ़ शराब बनाता मिला जिसे शराब बनाने के संबंध में नोटिस देकर आसपास के स्थान को चेक किया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर तैयार कर रखा हुआ 200 लीटर महुआ शराब कीमती 40,000 रूपये, शराब बनाने का बर्तन कीमती 1,000 रूपये एवं 50-50 किलो की बोरी में रखे हुये महुआ पास लहन का नष्टीकरण किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना सरिया में धारा 34(1)(क)34(2) 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी विवेक पाटले, सहायक उप निरीक्षक माधव साहू, आरक्षक खिरेन्द्र जलतारे, मोहन गुप्ता, महादेव बंजारा, राज कुमार साव, मोहन पटेल, गोपाल डनसेना की अहम भूमिका रही है।

ड्राइवर की बेटी ने बढ़ाया सम्मान, सीएम ने की 5 लाख की घोषणा

महासमुंद (आरएनएस)। पोखरा (नेपाल) में विभिन्न देशों के बीच बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसमें छुरा गरियाबंद निवासी दुर्गा (खुशबू) चंद्राकर ने 50 किलोग्राम की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्णपदक हासिल की। दुर्गा के पिता निजी बस चालक हैं, जिन्हें मात्र 8 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है। लेकिन, अपने जज्बे एवं संघर्ष से दुर्गा ने अपने प्रयासों से मेहनत जारी रखी और विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एवं छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। दुर्गा के स्वदेश लौटने पर उनका परिवार जो कि महासमुंद में रहता है दुर्गा को लेकर महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. रश्मि चंद्राकर से मुलाकात कर उपलब्धि की जानकारी दी। इस पर डॉ. रश्मि ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने पर दुर्गा को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संपर्क उपलब्धि की जानकारी दी। शहर अध्यक्ष खिलावन बघेल, प्रभारी महामंत्री संजय शर्मा के साथ दुर्गा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास रायपुर में दुर्गा से पूरी जानकारी ली। उसके जज्बे को सलाम करते हुए तत्काल 5 लाख रुपए आर्थिक सहयोग की घोषणा की, जिस पर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. रश्मि एवं परिवार वालों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

कलेक्टोरेट परसिर में अधिकारियों-कर्मचारियों ने ली सद्भावना की शपथ

रायगढ़ । भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टोरेट परिसर में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई गई।

कलेक्टोरेट के विभिन्न विभागों और शाखाओं में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने जाति, संप्रदाय, धर्म और भाषा का भेदभाव किये बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना पूर्वक कार्य करने तथा हिंसा का सहारा लिये बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाने की शपथ ली। इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर सुश्री अभिलाषा पैकरा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सरस्वती बंजारे, श्रीमती बेरनादत्त एक्का, एस.के.कवर सहित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बालक रोहित के दत्तक ग्रहण के संबंध में दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़ । बाल कल्याण समिति रायगढ़ द्वारा बालक रोहित कुमार उम्र लगभग 4 वर्ष को अस्थाई संरक्षण हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण रायगढ़ में रखा गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी रायगढ़ ने जानकारी देते हुये बताया कि बालक रोहित कुमार के जो वैधानिक पालक/अभिभावक होने का दावा आपत्ति दर्ज कराना चाहते है वे 30 दिवस के भीतर जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, रायगढ़ अथवा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण रायगढ़ में दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते है। समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा दत्तक ग्रहण की कार्यवाही की जाएगी।

बीआरसी भवन सारंगढ़ में दिव्यांग बच्चों के थेरेपी संबंधी कार्यशाला आयोजित

रायगढ़ । राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायगढ़ (समग्र शिक्षा)अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य के निर्देशन एवं डीएमसी आर.के.देवांगन के मार्गदर्शन में गत दिवस बीआरसी भवन सारंगढ़ में 15 दिव्यांग बच्चों के थेरेपी संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें डॉ.खुशबू साहू एवं डॉ.प्रतिमा गबेल के समक्ष विकासखण्ड सारंगढ़ के 15 दिव्यांग छात्र-छात्रायें पालक के साथ उपस्थित होकर थेरेपी संबंधी कार्य कुशलता पूर्वक सीखकर थेरेपी कार्य किए।

डॉ.द्वारा विशेष रूचि लेकर समस्त बच्चों को पृथक-पृथक थेरेपी दिया जाकर पालकों को घर में थेरेपी करने के लिए सिखाया गया। इस कार्यक्रम से दिव्यांग बच्चों को बहुत ही लाभ हो रहा है। इस मौके पर सहायक परियोजना समन्वयक भुनेश्वर पटेल, समावेशी शाखा प्रभारी भूपेन्द्र पटेल, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आर.एन.सिंह, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुर्रे, बीआरसीसी शोभाराम पटेल एवं बीआरपी अशोक निराला, सीएसी शिक्षक व पालकगण, समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास, लोकतंत्र की हत्या - जेसीसीजे

» सड़क निर्माण में 1करोड़ 19 लाख भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले तेरह जोगी कांग्रेसियों पर हुआ एफआई आर

» एफआईआर से बचने के लिए अधिकारी ने की जोगी कांग्रेसियों पर एफआईआर

रायपुर (आरएनएस)। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मुख्य प्रवक्ता भगवानू नायक ने कवर्धा जिला के अंतर्गत सड़क निर्माण में एक करोड़ उन्नीस लाख रुपया के भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले तेरह जोगी कांग्रेसियों पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अन्य धाराओं में अपराध दर्ज की गई है जिसे झूठा मामला बताते हुए और कार्यवाही की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा खुद एफआईआर से बचने और अपनी साख बचाने के लिए जोगी कांग्रेसियों के विरुद्ध फर्जी मामला बनाया गया है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रदर्शन में शामिल जोगी कांग्रेस के नेता गणेश पात्रे जो कि खुद अनुसूचित जाति वर्ग के है। उनके विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर की गई है जो कि संभवत देश का पहला मामला होगा। जिसमें जिस वर्ग के सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है उसी वर्ग के व्यक्ति के विरुद्ध यह मामला बना दिया गया और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का खुलेआम दुरुपयोग किया गया।

भगवानू नायक ने दुर्भावनापूर्वक की गई उक्त कार्यवाही को विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास और लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा छत्तीसगढ़ में अब बदलाव की नहीं बल्कि बदलापुर की राजनीति चल रही है , जिस तरीके से जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं के खिलाफ ही एफआईआर की जा रही है उससे साफ जाहिर है की छत्तीसगढ़ में अब जनताराज नहीं बल्कि पुलिस का डंडा राज चल रहा है। इस संबंध में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के निर्देशानुसार प्रदेश के जिला मुख्यालयों में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शिकायत की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

खरसिया अनुविभाग में पीडीएस दुकान संचालन के लिए 28 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । खरसिया अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने के कारण संबंधित सहकारी समिति, दुकान संचालक, ग्राम पंचायत को नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण उक्त सहकारी समिति, दुकान संचालक व ग्राम पंचायत को आबंटित दुकान को निरस्त कर दिया गया है। जिसके कारण ग्राम बसनाझर, चोढ़ा, देहजरी, मुरा, सोनबरसा, मौहापाली में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु रिक्त है। संबंधित आ.जा.सेवा सहकारी समिति, ग्राम पंचायत अथवा कार्यशील ऐसे महिला स्व-सहायता समूह जिनका पंजीयन सहायक पंजीयक, फर्म एण्ड सोसायटी कार्यालय बिलासपुर में तीन माह पुराना हो अथवा वन सुरक्षा समिति अथवा अन्य सहकारी समिति, दुकान संचालन हेतु अपना आवेदन 24 अगस्त 2021 को समूह अथवा समिति के प्रस्ताव की प्रतिलिपि एवं बैंक खाता पास बुक की जमा राशि के प्रति एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़ में प्रस्तुत कर सकते है।

ग्राम बडे गंतुली में घर के बाहर शराब बेच रहे आरोपी से कोसीर पुलिस जप्त की 08 लीटर महुआ शराब

रायगढ़। कोसीर पुलिस द्वारा आज दिनांक 19-08-2021 को ग्राम बडे गंतुली के विक्रम जोल्हे अपने घर के बाहर परछी में अवैध रूप से महुआ शराब बेचने की सूचना पर रेड कार्रवाई किया गया। पुलिस टीम आरोपी विक्रम जोल्हे पिता शिवशंकर जोल्हे उम्र 36 वर्ष साकिन बडे गंतुली थाना कोसीर को उसके घर के बाहर आंट परछी में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने के लिये प्लास्टिक जरकीन में शराब रखे हुये पकड़ा गया। आरोपी से 08 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। थाना कोसीर में आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2)59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से स्वयं हुये सक्षम, अब दूसरों को दे रहे रोजगार

रायगढ़ । हर शिक्षित नौजवान युवाओं के मन में होता है, पढ़-लिखकर शासकीय नौकरी करें। शासकीय नौकरी की आस में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई किए और राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता में भाग भी लिया पर परीक्षा में सफलता नहीं मिली। कुछ करने की चाह से युवक ने हार नही मानी और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होकर अब खुद सक्षम हुए अब दूसरों को भी रोजगार दे रहे है।

यह कर दिखाया ग्राम टांडीपार निवासी रघुवंशमणी जायसवाल ने। जिन्होंने नौकरी की आस में लम्बे वर्षो तक परीक्षा के माध्यम से प्रयास करते रहे। मनचाही सफलता नहीं मिलने से थोड़ा हताश जरूर हो गए। ऐसे में उन्होंने खुद का कार्य प्रारंभ करना चाहा, कृषि कार्य से परिवार भरण-पोषण होता है। लिहाजा आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मन में जो सपने थे वे टुटते दिखाई देने लगे। इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से लाभान्वित हितग्राही से मिले। इसके बाद उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में व्यक्तिगत संपर्क कर योजनान्तर्गत विस्तृत जानकारी प्राप्त कर मार्गदर्शन लिया।

पूर्णतः कृषि कार्य के माध्यम से जीवन-यापन करने वाले जायसवाल को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख 87 हजार की ऋण मिल गया। आज उनका खुद का सी.एस.सी.सेंटर है। सीएससी सेंटर के माध्यम से उन्होंने खुद तो रोजगार पाया, साथ ही रोजगार सृजनकर आज 2-3 लोगों को भी रोजगार भी दे रहे है। वर्तमान में रघुवंशमणी का व्यापार बढ़ चुका है, आज वह माह में 18-20 हजार रुपए आय प्राप्त कर रहे है। आय बढ़ने से वे अपने परिवार के लिए काफी कुछ कर पा रहे है। एक व्यवसायी के तौर पर सामाजिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है। जिससे वो खुश है और वह अन्य पढ़े-लिखे लोगों को भी प्रेरित कर रहे। जायसवाल का कहना है कि नौकरी ही सफलता का प्रयाय नही होता लेकिन शिक्षित होना जरूरी है। मेहनत करते रहे, हिम्मत न हारे सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बात से आप कह सकते है रघुवंशमणी जायसवाल प्रतियोगिता परीक्षा में भले ही असफल हुए लेकिन जीवन की परीक्षा वे पास कर लिए। अब वो ऐसे अन्य शिक्षित लोगों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे जो जल्दी हार मान जाते है उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहे है।